अध्याय - VI

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्य-कलाप

अध्यायः VI
सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्य-कलाप

6. सामान्य

यह अध्याय सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है। कंडिका 1 सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर एक अवलोकन है तथा कंडिका 2 विविध रूचिकर प्रकरणों से संबंध रखती है।

6.1 सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

6.1.1 प्रस्तावना

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधिनियम के कारण बिहार राज्य का विभाजन हुआ और 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य का निर्माण हुआ। एक सरकारी कम्पनी यथा झारखण्ड पुलिस आवास निगम लिमिटेड और एक सांविधिक निगम यथा झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद क्रमशः 13 मार्च 2002 और 20 मार्च 2001 को निगमित हुए।

सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 में वर्णित धारा 617 में यथा परिभाषित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। इन लेखे की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संचालित की जाती है। झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद की लेखापरीक्षा राज्य विद्युत (आपूर्ति अधिनियम) 1948 की धारा 69 (2) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

6.1.2 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू)

6.1.2.1 कार्यरत पी एस यू में निवेश

31 मार्च 2002 को 2 कार्यरत पी एस यू (एक सरकारी कम्पनी और एक सांविधिक कम्पनी) में कुल निवेश 189 करोड़ रूपये, 187 करोड़ रूपये ऋण और 2 करोड़ रूपये अंश आवेदन राशि के रूप में था।

पी एस यू निवेश का एक विश्लेषण निम्नलिखित कंडिकाओं में है । विभिन्न उपक्रमों में निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) मार्च 2002 को उनकी प्रतिशतता निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शायी गयी है।

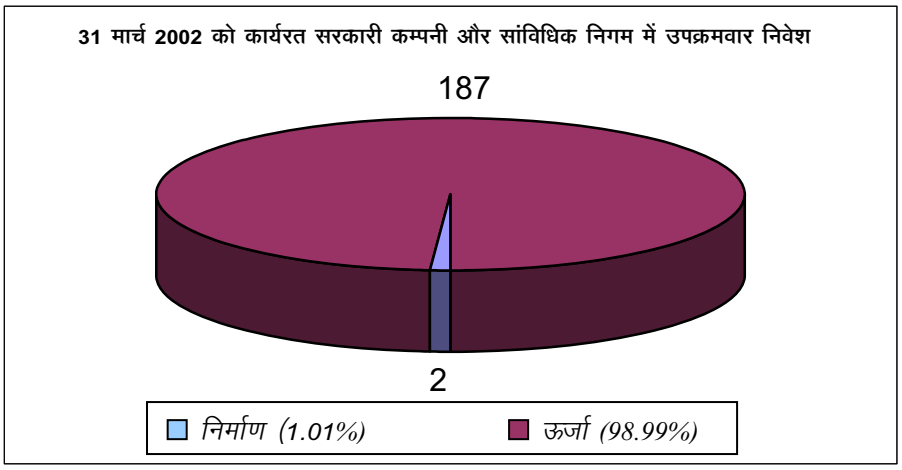

6.1.2.1 (i) कार्यरत सरकारी कम्पनी

मार्च 2002 के अंत में एक कार्यरत सरकारी कम्पनी का निवेश अंश आवेदन राशि के रूप में 2 करोड़ रूपये था।

31 मार्च 2002 को कार्यरत सरकारी कम्पनी के कुल निवेश का 100 प्रतिशत इक्विटी पूँजी के रूप में था।

एक कार्यरत सांविधिक निगम यथा झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद् का मार्च 2002 के अंत तक कुल निवेश बिहार राज्य विद्युत परिषद् एवं झारखण्ड राज्य विद्युत परिष्द् के मध्य परिसम्पत्तियों और दायित्वों के संविभाजन नहीं होने के कारण प्राप्त नहीं हुआ।

6.1.2.1 (ii) बजट के जावक, अनुदान/अर्थ सहाय्य, प्रत्याभूतियों, देयताओं का अधित्याग एवं ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन।

वर्ष 2001-02 के लिए बजट का जावक (इक्विटी पूँजी और ऋणों के रूप में) एवं अनुदान/अर्थ सहाय्य राज्य सरकार के एक कार्यरत सरकारी कम्पनी और एक कार्यरत सांविधिक निगम में निम्निलिखित थेः-

(करोड़ रूपये में)

	संख्या	**राशि**
बजट से जावक इक्विटी पूँजी	1	2
बजट से दिया गया ऋण	1	187
अन्य अनुदान/अर्थ सहाय्य	शून्य	30
कुल जावक	**2•**	**219**

• ये कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या हैं जो राज्य सरकार द्वारा संबंधित वर्ष में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों और सहाय्य के रूप में बजटीय समर्थन प्राप्त हुए हैं।

6.1.2.1(iii) कार्यरत पी एस यू द्वारा लेखे का समापन

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619 (ख) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष का लेखा के उस वित्तीय वर्ष के अंत से 6 महीने के भीतर समापन होना है। उसे विधान मण्डल में वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने की भीतर प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार, सांविधिक निगम के मामले में संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार समापित, लेखा परीक्षित और विधान मण्डल में प्रस्तुत होना है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210(4) के अनुसार कम्पनी का लेखा सम्मिलित होने के 18 महीने के भीतर कम्पनी कीं प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत होना है। एक सरकारी कम्पनी यानि झारखण्ड पुलिस आवास निगम लिमिटेड का लेखा समापन हेतु नहीं था। सांविधिक निगम यथा झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद का लेखा 2001-02 के लिए लंबित था (मई 2003)।

6.1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (को.पू.) पर समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की परिचर्चा की स्थिति

झारखण्ड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (को पू) की समिति 12 जनवरी 2003 को अध्यक्ष सहित चार सदस्यों की बनी।

झारखण्ड राज्य से संबंधित प्रारूप कंडिका जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 2000-2001 तक, में प्रकाशित हुई जिसपर झारखण्ड राज्य के 'को पू' में अभी तक परिचर्चा नहीं हुई है।

खण्ड -ख : कंडिका

6.2 - ख : विविध रूचिकर प्रकरण
सांविधिक निगम
झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद्

6.2.1 राजस्व की हानि

परिषद ने अनुबंध के पुर्नजीवित नहीं करने और उच्च दर से पुनरीक्षित विपत्र प्रस्तुत नहीं करने से भट्ठियों के लिए आपूरित ऊर्जा पर उच्च शुल्क नहीं लगाकर 1.05 करोड़ रूपये के उद्ग्रहणीय राजस्व का क्षय होने दिया।

परिषद के पदाधिकारियों के एक दल द्वारा (फरवरी 2000) बी एम सी मेटल कास्ट लिमिटेड, आदित्यपुर एवं उच्च शक्ति विनिर्दिष्ट सेवा प्रयोक्ता (उपभोक्ता) की उत्प्रेरण भट्ठी की क्षमता की नापी नियमानुसार की गयी और भट्ठी में पिघलने की क्षमता उपभोक्ता द्वारा घोषित 500 के जी के विरूद्ध 610 के जी निर्धारित की गयी। तदनुसार विद्युत अधीक्षण अभियंता, आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर ने उपभोक्ता को वर्तमान माँग अनुबंध के 500 के भी ए के विरूद्ध उत्प्रेरण भट्ठी के लिए नयी शुल्क व्यवस्था (सितम्बर 1999 से लागू) के अंतर्गत देय 550 के भी ए के लिए एक नया माँग-अनुबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा जबकि उपभोक्ता नया अनुबंध देने में असफल रहा, झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद (जे एस ई बी) ने कम दर पर ही उपभोक्ता को विपत्र देना जारी रखा। कम राशि का विपत्र जारी किया जाता रहा (जनवरी 2003) और इसके फलस्वरूप जे एस ई बी को मात्र 40.64 लाख रूपये के राजस्व से बंचित रहना पड़ा। यह नियम के अनुपालन में भारी कमी को ही नहीं दर्शाता है बल्कि उन सुरक्षा उपायों की कमी की ओर भी इंगित करता है जिससे इस प्रकार की चूक का समय से पता नहीं चल सका और इतने लम्बे समय तक राजस्व के एक मुख्य स्रोत के अप्रत्याशित बहाव को रोकने के लिए समीक्षा नहीं की जा सकी जबकि उपभोक्ता बिना विहित दर पर उपयोग की गयी ऊर्जा का भुगतान किये उत्पादन करता रहा। इसका प्रभाव, सरकार के खर्चे पर, अनधिकृत रूप से वाणिज्यिक क्रिया-कलाप को बढ़ावा देने में सहायक हुआ। इस प्रकार के सभी मामलों में जे एस ई बी को एक नया अनुबंध प्राप्त करने हेतु प्रयास करना चाहिए और मामला के पता लगने के महीने के अनुवर्ती महीने से पुनरीक्षित विपत्र निर्गत करना चाहिए, जबकि बकाये की वसूली और दण्डात्मक उपायों को अलग से जारी रखना चाहिए।

एक अन्य मामले में परिषद के निगरानी दल द्वारा विद्युत भार की जाँच के दौरान पाया गया कि एस जी मल्टीकास्ट, जमशेदपुर के उत्प्रेरण भट्ठी की घोषित क्षमता 2500 के जी (2.5 टन) के बदले 3000 के जी (3 टन) थी, तदनुसार विद्युत अधीक्षण अभियंता, आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर ने व्यवसायी को 3 टन (1800 के भी ए) क्षमता के अनुबंध देने के लिए कहा (अक्टूबर 1999) परंतु उपभोक्ता ने न तो नया अनुबंध दिया और न जे एस इ वी ने दिसम्बर 2002 तक 1800 के भी ए के लिए पुनरीक्षित विपत्र निर्गत

करने की कोई कार्रवाई ही की, व्यवसायी ने क्षमता को 1800 के भी ए से 900 के भी ए कर घटा दिया। इस घटोतरी की जाँच नहीं हुई और दिसम्बर 2002 तक कम दर पर ही विपत्र निर्गत किये गये जबकि अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2002 की अवधि के लिए ऊँची दर से वसूलनीय दावे के अंतर की राशि 64 लाख रूपये की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यह दर्शाता है कि जे एस इ बी राजस्व वसूली के तंत्र के क्रियान्वयन में वाणिज्यिक उपभोक्ता का पक्ष लेता है जबकि इसके अपने वास्तविक दावे पर या तो ध्यान नहीं दिया जाता या दावा किया ही नहीं जाता।

मामला परिषद्/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2002); किन्तु अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

राँची **(के.के. श्रीवास्तव)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विजयेन्द्र नाथ कौल)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**